न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रामचन्द्र खटीक, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 17/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
हाजी खॉ पुत्र श्री जमाल खॉ जाति सिन्धी निवासी सिंधीनगर कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री डी.डी.रामावत एडवोकेट
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 16/9/2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 10 बीघा स्थित है। जिसके चिपते ही दक्षिण में खसरा नम्बर 331 में से प्रार्थी को 18 बीघा 12 बिस्वा जमीन आवंटित हुई है जिसके मौजूदा खसरा नम्बर 331/4 है। खसरा नम्बर 331 काफी बड़ा रकबा है, जिसमें से अन्य लोगो का जमीन आवंटित हो रखी हैं। मौके पर शेष जमीन खसरा नम्बर 331 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा सरकारी पड़त खाली पड़ी है। उक्त सरकारी भूमि खसरा नम्बर 331 के पश्चिमी तरफ मौके पर रास्ता कायम है जो राजस्व रेकर्ड में/नक्शे में अंकित है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 331 व 332 के पश्चिम दक्षिण में कायम है। नियमानुसार बंटवाडा अथवा तरमीमसुदा भूमि में पहुच हेतु मौके पर रास्ता बाबत् उल्लेख किया जाना तथा रास्ता जमीन में दर्शाया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रार्थी को आवंटनसुदा भूमि जो संलग्न नक्शे में 1 से 8 तक मार्क कर दर्शाया है में इस खसरे के दक्षिण–पश्चिम तरफ स्थित रास्ते से पहुचने हेतु कोई रास्ता सरकारी नक्शे में दर्ज नही किया गया है। जिसके चलते प्रार्थी अपनी आवंटनसुदा भूमि खसरा नम्बर 331/4 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में काश्त नही कर सकता तथा आये दिन रास्ते के विवाद के चलते लोग खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रार्थी को अपनी खातेदारी खेत में काश्त नही करने देते है। जिसके चलते प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों से वंचित होने का अंदेशा है। जिसके चलते प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 331/4 में नही पहुच पाता तथा इस भूमि में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता मौके पर दर्शाये अनुसार ए.बी.सी.डी. मार्क अनुसार उपलब्ध है जो सरकारी भूमि है। उक्त वांछित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. की चौडाई 30 फुट व लम्बाई 600 फुट है। उक्त वांछित रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में असमर्थ है एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में पहुच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

नही है तथा प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु सक्षम है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम सिन्धीनगर (कापरड़ा) स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 331 में सलंग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार 30 गुणा 600 फुट ए.बी.सी.डी. रास्ता जो मौके पर कायम रास्ते से इस खसरे में से होते हुए प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 331/4 तक जाता है वो राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो मौका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद यह रास्ता खसरा नम्बर 331 सरकारी भूमि में से निकलता है। यह रास्ता रेकर्डेड नही है पूर्व में इस रास्ते हेतु किया गया आवेदन खारिज हो गया। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही वर्तमान में मौके पर चलता है वांछित रास्ता व वैकल्पिक रास्ता दोनो एक ही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की ख. न. 331 रकबा 24.05 में से 1.02.15 रकबा जायेगा उक्त खसरे की भूमि थी वर्तमान डी.एल.सी. के दो गुणा से 66544 रूपये राशि बनती है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.01.2020 के अनुसार लाल स्याही से मार्क का रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 331/4 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 331 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा के लाल स्याही से मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 331/4 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प04(52) राज'–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के अनुसार अगर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होने पर एवं सबसे निकटतम सरकारी भूमि में से अधिकतम 30 फुट चौड़ा रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से दिया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 331/4 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट दिनांक 20.01.2020 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये लाल स्याही से मार्क भाग को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चालान द्वारा राजकोष में अदा कर इस न्यायालय में चालान की प्रति पेश करेंगे। भू. अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 20.01.2020 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

16/9/2020

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/9/2020

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner